रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1986/श्रावण 2, 1908
No. 299] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1986/SRAVANA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1986

का.आ. 438(अ):—मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 24 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के तत्कालीन नौवहन एवं परिवहन (परिवहन-पक्ष) की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 539(ई) दिनांक 22 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, तामिलनाडु राज्य से संबंधित मद संख्या 18 के सामने दी गई सारणी में कालम 18 में शब्द-समूह "टी सी" के बाद शब्द-समूह "टी ए" "टी एल" "टी एम" और "टी यू" जोड़ा जाएगा।

[फाईल सं. आर टी-11011/4/86 टी ए जी]
बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1986

S.O 438 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 539 (E) dated 22nd September, 1979 as amended from time to time, namely :—

In the said notification in the Table against item No. 18 relating to the State of Tamil Nadu in column 18, after the group of letters "TC" the group of letters "TA", "TL", "TS" and "TU" shall be added.

[File No. RT-11011|4|86-TAG]
B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986